संख्या- 2972 /सेक-2-पांच/-17-7(64)/2017

प्रेषक,

आलोक कुमार
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
उ0प्र0, लखनऊ।

2. महानिदेशक,
परिवार कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग-2

दिनांकः 25 जुलाई, 2017

विषय: चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में प्रादेशिक चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के चिकित्सा अधिकारियों एवं दन्त शल्यकों की स्थानान्तरण प्रक्रिया मानव सम्पदा साफ्टवेयर के माध्यम से सम्पादित किए जाने हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-4794/सेक-2-पांच-17-7(64)/2017, दिनांक 15 जून, 2017 एवं शासनादेश संख्या-2824/सेक-2-पांच-17-7(64)/2017, दिनांक 16 जून, 2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में प्रादेशिक चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के चिकित्सा अधिकारियों एवं दन्त शल्यकों की स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत आवेदन पत्र मानव सम्पदा साफ्टवेयर के माध्यम से प्रस्तुत किये जाने के संबंध में निर्देश निर्गत किए गये हैं।

2- शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि अभी भी जनपद स्तर तथा महानिदेशालय स्तर पर उक्त प्रक्रिया के संबंध में स्थिति पूर्णया स्पष्ट नहीं है, जिसके कारण स्थानान्तरण के आवेदन/निस्तारण आदि में कठिनाई उत्पन्न हो रही है।

3- उपर्युक्त के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण में निम्नवत् दिशा-निर्देश निर्गत किया जाता है:-

(i) चिकित्सक द्वारा स्थानान्तरण के संबंध में आवेदन पत्र मानव सम्पदा साफ्टवेयर पर ऑन-लाइन भरे जायेंगे तथा साथ ही अपने रिपोर्टिंग अधिकारी का चयन किया जाएगा। तदुपरान्त रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा उक्त आवेदन पत्र को सहमति की दशा में अग्रसारित किया जाएगा तथा असहमति की दशा में कारण अनिवार्य रूप से इंगित करते हुए आवेदन-पत्र को निरस्त किया जाएगा। उक्त सहमति अथवा असहमति दर्ज करने की प्रक्रिया भी संबंधित रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा मानव सम्पदा साफ्टवेयर पर ऑन-लाईन व्यवस्था के माध्यम से ही की जाएगी। उक्त प्रक्रिया को और अधिक स्पष्ट करने के लिए संलग्नक-1, 2 व 3 पर फ्लो-डायग्राम के माध्यम से इसे प्रदर्शित किया गया है। इस प्रकार विभिन्न स्तरों से प्राप्त समस्त आवेदन रिपोर्टिंग अधिकारियों के द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें/महानिदेशक, परिवार कल्याण को यथास्थिति अग्रसारित किए जाएंगे। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि उक्त ऑन-लाइन प्रक्रिया के साथ-साथ प्रत्येक कार्यालयाध्यक्ष स्तर पर पत्रावली पर अभिलेखीकरण की विद्यमान व्यवस्था यथावत् लागू रहेगी, जिससे कि प्रत्येक कार्यालय के पास उक्तानुसार अभिलेखीकरण सुनिश्चित होता रहे।

(ii) महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य/परिवार कल्याण के कार्यालय द्वारा इस प्रकार से प्राप्त होने वाले सभी आवेदनों को एकीकृत किया जाएगा तथा इसके उपरान्त प्रिन्टआउट लेकर संबंधित चिकित्साधिकारियों की पत्रावली पर पूर्व की भांति समस्त प्रक्रिया का पालन करते हुए

शासन को आवेदन संस्तुति सहित अग्रसारित करने अथवा आवेदन निरस्त करने संबंधी निर्णय पत्रावली पर लिया जाएगा। तदुपरान्त उक्तानुसार लिए गए निर्णय को साफ्टवेयर में यूज़र आई0डी0 एवं पासवर्ड का प्रयोग कर लॉग-इन करके अपलोड किया जाएगा।

(iii) शासन स्तर पर प्राप्त समस्त आवेदन पत्रों को संबंधित अनुभाग द्वारा चिकित्सा अनुभाग-8 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1932/पांच-8-2017-जी(27)/2016, दिनांक 16 मई, 2017 द्वारा गठित प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट यूनिट (पी0एम0यू0) के सहयोग से संकलित कर शासन द्वारा निर्धारित नीति व प्राप्त निर्देशों के क्रम में पत्रावली पर प्रस्तुत कर सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। पत्रावली पर अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात् संबंधित अनुभाग द्वारा पी0एम0यू0 के माध्यम से स्थानान्तरण आदेशों को मानव सम्पदा साफ्टवेयर के माध्यम से ऑन-लाइन अपडेट किया जाएगा तथा ऑन-लाईन ही स्थानान्तरण आदेश जारी किए जाएंगे मानव सम्पदा साफ्टवेयर में निर्धारित की गयी व्यवस्था के अनुसार स्थानान्तरित अधिकारियों के कार्यमुक्त एवं कार्यभार ग्रहण करने की सूचना संबंधित कार्यालयध्यक्षों को उनके पोर्टल पर ऑन-लाइन प्राप्त हो जाएगी। उक्त सूचना दोनों कार्यालयों के कार्यालध्यक्षों को उनके मोबाइल नम्बर तथा स्थानान्तरित अधिकारियों को भी उनके मोबाइल नम्बर पर एम0एस0एस0 के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी।

(iv) स्थानान्तरण आदेश आन-लाइन निर्गत होने के पश्चात् कार्यमुक्त करने वाले कार्यालय के कार्यालयाध्यक्ष के पोर्टल पर लॉग-इन करने पर उक्त आदेश नोटिफिकेशन के रूप में दिखाई देगा, जिसके उपरान्त संबंधित अधिकारी को कार्यमुक्त किया जा सकेगा। कार्यमुक्त होने के पश्चात् संबंधित अधिकारी का नाम कार्यभार ग्रहण करने वाले कार्यालय के कार्यालयाध्यक्ष के पोर्टल पर लॉग-इन करने पर उक्त आदेश नोटिफिकेशन के रूप में दिखाई देगा, जिसके आधार पर संबंधित अधिकारी को कार्यभार ग्रहण कराया जा सकेगा। संबंधित अधिकारी को उस दशा में कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा, जब वह वहां व्यक्तिगत रूप से कार्यभार ग्रहण करने हेतु स्वयं उपस्थित हो। उक्त का फ्लो डायग्राम संलग्नक-4 के अनुसार है।

(v) संबंधित कार्यालयध्यक्ष द्वारा कार्यभार ग्रहण कराते समय उक्त अधिकारी का तैनाती स्थल भी मानव सम्पदा पर अनिवार्य रूप से अपलोड किया जाएगा।

4- इसी प्रकार यदि महानिदेशालय के माध्यम से समय-समय पर किसी शासनादेश में दी गयी व्यवस्था के अनुसार स्थानान्तरण किए जाते हैं तो उनके द्वारा भी मानव सम्पदा में दी गयी व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

5- जनपद के अन्तर्गत समय-समय पर मुख्य चिकित्साधिकारियों द्वारा विभिन्न चिकित्सीय इकाइयों में तैनात किए जाने वाले चिकित्सकों से संबंधित आदेश भी मानव सम्पदा साफ्टवेयर के माध्यम से ही जारी किए जा सकेंगे। किसी भी मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा स्थानान्तरण सत्र समाप्त होने के पश्चात किसी आकस्मिक दशा अथवा किसी शासनादेश में दिए गये निर्देशों के क्रम में किसी चिकित्सक का स्थानान्तरण जनपद के अन्तर्गत किसी एक चिकित्सीय इकाई से दूसरी चिकित्सीय इकाई में किया जाता है तो वे उस दशा में उक्त आदेश मानव सम्पदा साफ्टवेयर में दी गयी व्यवस्था के माध्यम से ही किये जायेंगे। किसी भी जनपद में यदि यह आदेश मैनुअल व्यवस्था से किए जाते हैं तो वे मान्य नहीं होगे तथा मैनुअल आदेश जारी किये जाने के संबंध में संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध यथावश्यक कार्यवाही भी सुनिश्चित की जाएगी।

6- अतः पुनः यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी भी स्तर पर शासन की नीति व निर्देशों के क्रम में यदि किसी चिकित्सक का स्थानान्तरण किया जाता है तो केवल मानव सम्पदा साफ्टवेयर में दी गयी ऑन-लाइन व्यवस्था के अन्तर्गत ही किया जाएगा, इससे अन्यथा किया गया कोई भी स्थानान्तरण आदेश मान्य नहीं होगा।

7- अतएव उक्त संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में प्रादेशिक चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के चिकित्सा अधिकारियों एवं दन्त शल्यकों की स्थानान्तरण प्रक्रिया मानव सम्पदा साफ्टवेयर के माध्यम से सम्पादित किए जाने संबंधी उक्त दिशा-निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करें।

संलग्नक- यथोपरि।

भवदीय,

(आलोक कुमार)
सचिव।

<u>संख्या-2972(1)/सेक-2-पांच-2017, तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।
2- परियोजना निदेशक, उ0प्र0 हेल्थ सिस्टम स्ट्रेन्थनिंग परियोजन, उ0प्र0।
3- अधिशासी निदेशक, सिफ्सा, उ0प्र0।
4- अधिशासी निदेशक, उ0प्र0 तकनीकी सहयोग इकाई।
5- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0, शासन।
6- निजी सचिव, सचिव (श्रीमती वी0हेकाली झिमोमी), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ0प्र0, शासन।
7- समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
8- समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उ0प्र0।
9- समस्त प्रमुख अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका, मण्डलीय/जिला (पुरूष/महिला/संयुक्त) चिकित्सालय, उ0प्र0।
10- चिकित्सा अनुभाग-3/8।

आज्ञा से,

(जे0एल0 यादव)
अनु सचिव।